फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/2/25	[illegible]वली पेश हुई ! पी0ओ0 साहब [illegible] राज्य [illegible] यस्त है। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 6/3/25 को पेश हों।	
6/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण उप0। मुख्य अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं। अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर वास्ते बहस T.S हेतु दिनांक 27/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
27/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण उप0। वास्ते बहस T.S. हेतु पत्रावली दिनांक 03/4/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
3/4/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब [illegible] है। अतः [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक ../4/25 को पेश हो।	
[illegible]/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। पत्रावली मजमून रेकार्ड जवाब प्रार्थना पत्र का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। निर्णय पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली दर्ज नम्बर होकर बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 63/2023
निर्णय दिनांक 04.04.2025

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र रामनारायण दत्तक पुत्र रघुनाथ
2. राजू पुत्र रामेश्वर | पुत्रान स्व0 श्री जोहरी लाल
3. हनुमान सहाय |
4. बाबूलाल | पुत्रान स्व0 श्री घासी
5. रामचन्द्र |
6. गोपाल | पुत्रान स्व0 श्री रामकरण
7. रामप्रसाद |
8. गौरीशंकर |
9. रामेश्वर |
10. रामलाल | पुत्रान स्व0 श्री तेजा
11. काना |
12. जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मांगीलाल
13. तुलसी देवी पत्नी स्व0 श्री मांगीलाल

समस्त जातियान जाट निवासीयान ग्राम रामसिंहपुरा, वाटिका तहसील सांगानेर जयपुर।

प्रार्थीगण

वनाम

1. कैलाश | पुत्रान स्व0 श्री लाला
2. ओमप्रकाश |
3. रामफूल | पुत्रान स्व0 श्री श्रीनारायण
4. गोपाल |
5. रामप्रसाद |
6. बाबू |
7. मोहन |
8. जगदीश पुत्र सोन्या
9. रामचन्द्र पुत्र सोन्या

समस्त जातियान जाट निवासीयान ग्राम रामसिंहपुरा, वाटिका तहसील सांगानेर, जयपुर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि यह कि आज प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त शीर्षकीय द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। जिसमे प्रार्थी को सफलता प्राप्ति की पूर्ण आशा हैं। प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी घासी पुत्र रूघा का हिस्सा 1/4 और तेजा और सूजा पुत्र बालू का हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या एक लगायत नो के हक पूर्वाधिकारी श्रीनारायण, लाला, जगदीश, लक्ष्मीनारायण, रामचन्द्र पुत्र सोन्या का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
...पुर द्वितीय (सांगानेर)

1/2 की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 285 रकबा 5 बिस्वा जिसके हाल सेटलमेन्ट के दौरान नवीन खसरा नम्बर 962 व 982 बने हैं जो ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 285 रकबा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 962 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 982 मिन रकबा 0.03 हैक्टयर पश्चिमी भाग भू प्रबन्ध विभाग जयपुर ने भू प्रबन्धक अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 तक के लिए कायम किये हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 285 रकबा 5 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 962 रकबा 0.04 हैक्टयर खसरा नम्बर 982 मिन रकबा 0.03 हैक्टयर पश्चिमी भाग को भू–प्रबन्धक कार्यवाही में भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी आधार व अधिकार के गैर कानूनी रूप से खसरा नम्बर 982 मिन रकबा 0.03 हैक्टयर पश्चिमी भाग जो साबिक खसरा नम्बर 285 से बना हैं को केवल अप्रार्थीगण के नाम से जमाबन्दी मे अंकित कर दिया हैं जो प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध प्रारम्भशुन्य, अवैध व निष्प्रभावी हैं। साबिक खसरा नम्बर 285 का नक्शा ट्रेश तथा हाल खसरा नम्बर 962 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 982 मिन रकवा 0.03 हैक्टयर पश्चिमी भाग का नक्शा ट्रेश को (सुपर इम्पोज) उपर नीचे रखते हैं तो स्पष्ट होता हैं कि खसरा नम्बर 982 मिन रकबा 0.03 हैक्टयर पश्चिमी भाग का नक्शा ट्रेश का हिस्सा साबिक खसरा नम्बर 285 का नक्शा ट्रेश के हिस्से का ही भाग हैं। तथा मिलान क्षेत्रफल से भी स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नम्बर 285 रकबा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 962 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 982 मिन रकबा 0.03 हैक्टयर पश्चिमी भाग हैं। अप्रार्थीगण भू प्रबन्ध विभाग की गई अवैध कार्यवाही से हुए राजस्व रिकार्ड में अवैध अंकन का फायदा उठाते हुए दिनाक 5–6–2015 को हाल खसरा नम्बर 982 मिन रकबा 0.03 हैक्टयर पश्चिमी भाग पर निर्माण करने लगे जिसका प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की बेजा अवैध निर्माण कार्यवाही का विरोध किया किन्तु अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकी दी कि हाल खसरा नम्बर 982 का राजस्व रिकार्ड हमारे नाम से हैं इस पर निर्माण करके तुमको बेदखल करेगें। वादग्रस्त कृषि भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की मद संख्या तीन में अंकित हैं हाल खसरा नम्बर 962 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 982 मिन रकबा 0.03 हैक्टयर हैं इस विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 982 मिन रकबा 0.03 हैक्टयर को तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि यह कथन सत्य है कि मिलान क्षेत्रफल मे पुराने खसरा नम्बर 285 के नये खसरा नम्बर 962 व 982 बने है। इस प्रकार प्रार्थीगण के अधिकारो के मुकाबिले भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा की गई गैर कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ से ही शुन्य व अकृत हैं जिसे दुरूस्त करवाने व घोषणा करवाने का प्रार्थीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थीगण के अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 982 रकबा 0.03 हैक्टयर पश्चिमी भाग पर अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 7 अन्य अपरिचित व्यक्तियों के साथ पुनः दिनांक 05–6–2023 को आये और कहा कि हम खसरा नम्बर 982 रकबा 0.03 हैक्टयर पश्चिमी भाग पर से तुमको बेदखल कर कब्जा कर निर्माण कार्य करेगे तथा पत्थर डालकर नीव खोदना शुरू कर दिया जिसके फोटोग्राफ संलग्न है। इस कारण इस बात पर वाद कारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। प्रथमदृष्ट्या केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बखुबी साबित हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादा में कामयाब हो गये

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ो प्रार्थीगण अपने वैध हक हकूको की वादग्रस्त आराजीयात से सदैव के लिए महरूम हो जायेगें जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना असम्भव होगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि जिसका प्रार्थना पत्र की मद संख्या चार मे अंकन किया गया हैं खसरा नम्बर 962 व खसरा नम्बर 982 में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न स्वंय करें न अन्य से करावे ऐसा न स्वंय करें न किसी अन्य से करावे तथा मौके की यथास्थिती बनाए रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही। दिनांक 06.03.2025 को अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किये जाने के आदेश दिये गये। पत्र बहस हेतु नियत की गई।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दौहराया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने वाद मे कथन किया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि जिसका प्रार्थना पत्र की मद संख्या चार मे अंकन किया गया हैं खसरा नम्बर 962 व खसरा नम्बर 982 में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न स्वंय करें न अन्य से करावे ऐसा न स्वंय करें न किसी अन्य से करावे तथा मौके की यथास्थिती बनाए रखे।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व दस्तावेजाव का आधोपान्त अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय हैः– **(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति**

(1) प्रथम दृष्टया मामलाः–वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, खसरा संख्या 982 मिन रकबा 0.03 है0 भग को भूप्रबन्ध कायवाही में भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी आधार व अधिकार के गैर कानूनी रूप से केवल अप्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी में अंकित कर दिया। उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है इस तथ्य को भी स्वीकार किया है एवं सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सावित करने में सफल रहे है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में तय किये जाते है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं (3) अपूरणीय क्षतिः–उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, बिना विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वाद की बहुलता बढ़ेगी एवं प्रार्थीगण को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को होगी।

उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है इसलिए उसके पक्ष में तय किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 9.06.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाता है कि वाके ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का रामसिंहपुरा, भू.अ०नि० क्षेत्र वाटिका, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 962 रकबा 0.04 है0 व खसरा नम्बर 982 मिन रकबा 0.03 है0 में भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, ना ही किसी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सॉंगानेर), जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)